

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 244 /जयपुर/1997-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस

जिला जयपुर

एण्ड रिस्वर्च सोसायटी, जोशी नवन, गोविन्दगढ़

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम

संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 11 अक्टूबर 1997 सन् एक हजार नौ सौ अठारहवाँ

सत्यमेव जयते

को जयपुर में दिया गया।

ए. ए. शर्मा

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

राजस्थान राज्य सहकारी मंत्रालय विभाग, जयपुर।

जयपुर